न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर,जिला–दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर अहकाम की तामील हुए
	आनन्दसिंह बनाम राज सरकार वगैरह	
	मु.नं.–01/25 किस्म – अपील अतिक्रमण	

कार्य का स्थगन रखा गया। जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 31.10.25 को पेश हो।

31.10.25 पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। पीठासीन अधिकारी अन्य राज्य कार्य में व्यस्त होने से आदेश अपील लिखवाया जा नहीं सका। पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते आदेश अपील दिनांक 19.12.25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

19.12.25 अभिभाषकों द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 23.01.26 को पेश हो।

23.01.26 अभिभाषकों द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 13.02.26 को पेश हो।

13.2.26 पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आंशिक स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
01 / 2023	02.01.2023	13.02.2026

बउनवान

श्रवणसिंह पुत्र हुकमसिंह, निवासी गोलाडा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा।

..अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बैजूपाडा, दौसा।

..रेस्पोडेन्ट

उपस्थित

1. अभिभाषक अपीलांट – श्री खेमसिंह गुर्जर।

अपील विरूद्ध नामान्तकरण दिनांक 24.05.1990 द्वारा
ग्राम पंचायत गोलाडा तहसील बैजूपाडा दौसा अन्तर्गत
धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

1. यह अपील अपीलांट की ओर से जरिये विद्वान अधिवक्ता इस आशय की पेश की है कि अपीलांट श्रवणसिंह की विवादित भूमि खाता सं. नया 20 पुराना 19 के खसरा सं. 948 रकबा 0.47 हैक्टे. ग्राम गोलाडा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा में स्थित है। विवादित आराजी पर अपीलांट के साथ अन्य सहखातेदारान भी है जो सभी अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त होते चले आ रहे है। अपीलांट के पिता की मृत्यु के उपरान्त ग्राम पचायत गोलाडा ने दिनाँक 24.05.1990 को विरासत का नामान्तकरण खोला था, उसमें अपीलांट का नाम गाँव वालों से पूछकर तथा अपीलांट से बिना पूछे ही गाँव की बोल चाल का नाम शिम्भूसिंह पुत्र हुकमसिंह नाम खोल दिया जो कि गलत है जबकि अपीलांट का वास्तविक नाम श्रवणसिंह पुत्र हुकमसिंह है। अपीलांट का वास्तविक नाम अन्य समस्त दस्तावेजात जैसे परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड तथा ड्राइविंग लाइसेंस आदि में श्रवणसिंह पुत्र हुकमसिंह ही है। अपीलांट पढा लिखा व्यक्ति नहीं है, केवल साक्षर है। इस कारण आज तक अपीलांट को जमाबन्दी में गलत नाम का पता नहीं लग सका। अब हल्का पटवारी द्वारा जानकारी मिली है कि विवादित आराजी में अपीलांट का नाम शिम्भूसिंह हो रहा है जिसकी बाबत अपीलॉट ने एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार बैजूपाडा को दिया और निवेदन किया कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में अपीलांट के नाम को सही फरमाया जावे लेकिन तहसीलदार बैजूपाडा द्वारा साफ इन्कार करने की वजह से अपीलांट को अपने जमाबन्दी में अपना नाम सही करवाने हेतु अपील पेश करना लाजिम आया है। अपीलांट को अपनी भूमि में अपना नाम सही करवाकर अपने नाम से विद्युत कनैक्शन एवम् अन्य कायों के लिये नाम शुद्ध करवाना आवश्यक हुआ है, इसलिये अपील पेश है। अपीलांट पटवारी हल्का द्वारा जानकारी दिये जाने से अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अन्य सहखातेदारान का हिस्सा प्रभावित नहीं होने के कारण उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

जाकर राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में, अपीलांट का नाम शिम्भूसिंह दर्ज कर दिया जो गलत है, के स्थान पर श्रवणसिंह पुत्र हुकमसिंह जो सही है, दर्ज फरमाने के आदेश किये जावे।

2. अपील को दर्ज रजिस्टर करके रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किया गया। अपील में वर्णित कथनों के सम्बन्ध मे, तहसीलदार बैजूपाडा की रिपोर्ट दिनांक 04.12.2024 के अनुसार, ग्राम गोलाडा संवत जमाबंदी 2074 – 2077 के खाता सं. 20 के अनुसार कजोडसिंह पुत्र हुकमसिंह हिस्सा 1/6, जगबहादुरसिंह पुत्र मदनसिंह हिस्सा 1/6, रसाल देवी पत्नी हुकमसिहं हिस्सा 1/6, शारदा पत्नी मदनसिंह हिस्सा 1/6, शिम्भू सिंह पुत्र हुकमसिंह हिस्सा 1/6 , सतवीर सिंह पुत्र मदनसिंह हिस्सा 1/6 खसरा सं. 948 रकबा 0.47 हैक्टे. दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी के नाम कृषि भूमि नामांतकरण दिनांक 24.05.1990 द्वारा विरासत से दर्ज होना बताया। यह भू–प्रबंध विभाग से पूर्व का नामांतकरण होने के कारण पटवारी हल्का के पास नामांतकरण सम्बन्धी कोई रिकॉर्ड नहीं है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में शिम्भूसिंह पुत्र हुकमसिंह हिस्सा 1/6 दर्ज रिकॉर्ड है जबकि प्रार्थी का सही नाम श्रवणसिंह पुत्र हुकमसिंह होना बताया गया। मजमे आम में ग्रामवासियों से जानकारी ली गयी तो ग्रामवासियों ने बताया कि शिम्भूसिंह पुत्र हुकमसिंह नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। रिकॉर्ड में दर्ज शिम्भूसिंह पुत्र हुकमसिंह के स्थान पर सही नाम श्रवणसिंह पुत्र हुकमसिंह होना बताया गया।

3. अपील पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा अपील को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. अपील पत्रावली, प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों यथा – तहसीलदार बैजूपाडा की रिपोर्ट, ग्राम पंचायत गोलाडा के द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण सं. 140 आदेश दिनांक 24.05.1990 का अवलोकन किया गया।

5. ग्राम पंचायत गोलाडा के द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 140 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त नामान्तरकरण के द्वारा ग्राम पंचायत गोलाडा द्वारा हुकमसिंह के फौत होने पर उसके वारिसान कजोड सिंह, शिम्भू सिंह, रसाल के नामों की प्रविष्ठी दर्ज की गयी। तहसीलदार बैजूपाडा की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम गोलाडा के आराजी खसरा सं. 948 में शिम्भूसिंह पुत्र हुकमसिंह, जाति राजपूत, सा. देह खातेदार 1/6 हिस्सा दर्ज है। मिसल बंदोबस्त संवत् 2074–77 में भी उपरोक्तानुसार शिम्भूसिंह पुत्र हुकमसिंह नाम दर्ज है। अपील पत्रावली के साथ प्रस्तुत आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड में श्रवणसिंह पुत्र हुकम सिंह नाम दर्ज है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत गोलाडा के द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 140 आदेश दिनांक 24.05.1990 में हुकम सिंह की विरासत का नामान्तरकरण दर्ज करते समय हुई त्रुटि को दुरुस्त किया जाना आवश्यक है। इसलिये उक्त नामान्तरकरण संख्या 140 को उक्त नामान्तरकरण के द्वारा दर्ज प्रविष्ठी शिम्भू सिंह पुत्र हुकम सिंह की हद तक अपास्त किया जाना उचित है।

आदेश

6. अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 आंशिक स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत गोलाडा के द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

संख्या 140 आदेश दिनांक 24.05.1990 को उक्त नामान्तरकरण के द्वारा दर्ज प्रविष्ठी शिम्भूसिंह पि. हुकमसिंह की हद तक निरस्त किया जाता है और प्रकरण को इस निर्देश के साथ तहसीलदार बैजूपाडा को प्रति प्रेषित किया जाता है कि तहसीलदार बैजूपाडा उक्त नामान्तरकरण सं. 140 से सम्बंधित समस्त पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देकर उक्त नामान्तरकरण के द्वारा दर्ज प्रविष्ठी शिम्भूसिंह पि. हुकमसिंह के सम्बन्ध में जांच कर निर्णय पारित करे। तहसीलदार बैजूपाडा को आदेश की पालनार्थ लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

9. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 13.02.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकार
मण्डावर दौसा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)